राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (04)आकाशि / नि.सं. / 2021 / 1755   दिनांक:- 06/10/2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021–22 से 2023–24 (तीन सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
कुंद कुंद कहान दिगम्बर जैन मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट संस्थान, छावनी, कोटा।	कुंद कुंद कहान दिगम्बर जैन महाविद्यालय, खेड़ा जगपुरा, रानपुर रोड, कोटा। खसरा नम्बर–57 और 73 4832 वर्गमीटर	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय– हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, भूगोल। विज्ञान संकाय– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2024–25 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
5. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी ।
6. संस्था सबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा ।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021–22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट **www.hte.rajasthan.gov.in** से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बी.एस. मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा (राज०)

क्रमांक एफ-5( ) शैक्ष / सम्बद्धता / 2021 / 7910 दिनांक 3-1-2021

प्राचार्य,
कुंद-कुंद कहान दिगम्बर जैन महाविद्यालय,
खेडा जगपुरा, रानपुर रोड,
कोटा (राज.)

विषय:- नवीन महाविद्यालय मे सत्र 2021-22 से 2023-24 तक की बी.ए. व बी.एस.सी. पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की संख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा नवीन महाविद्यालय का सत्र 2021-22 से 2023-24 तक की बी.ए. व बी.एस.सी. पाठ्यक्रम की अस्थायी सबद्धता हेतु निरीक्षण दल का गठन कर निरीक्षण करवाया गया था। निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट मे नवीन महाविद्यालय मे सत्र 2021-22 से 2023-24 तक बी.ए. पाठ्यक्रम (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, चित्रकला, भूगोल, राजनीति विज्ञान एव लोक प्रशासन) मे (100 सीटो तक) एव बी.एस.सी. (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान व गणित) हेतु (100 सीटों तक) प्रवेश दिये जाने की महाविद्यालय मे वांछित अपेक्षा की पूर्ति की शर्त पर अनुशंषा की गई है।

महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2024-25 का राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय मे प्रस्तुत करने के पश्चात ही सत्र 2024-25 में छात्रों को प्रवेश देवे।

साथ ही निरीक्षण मे पाई गई कमियो की पूर्ति सुनिश्चित करने पर उक्त संकाय मे निर्धारित संख्या से अधिक छात्रो को इस सत्र एव आगामी सत्रो मे प्रवेश न दे अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा शास्ति लगाते हुए अतिरिक्त प्रवेशित छात्रो को परीक्षा मे सम्मिलित नही किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय / समिति प्रशासन की होगी। इस पत्र को प्राथमिकता दें।

(डॉ. आर.के. उपाध्याय)
कुलसचिव

क्रमांक एफ-5( ) शैक्ष / सम्बद्धता / 2021 / दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु -
1. परीक्षा नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को सूचनार्थ।

(डॉ. आर. के. उपाध्याय)
कुलसचिव

PRINCIPAL
ARIHANT T. T. COLLEGE
Chandresal, KOTA (Raj.)

UNIVERSITY OF KOTA, KOTA

No. F.5 ( )/Acad./UOK/2026/ 9933 Date: 22/1/26

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that the following programmes are being run by (1) Arihant T.T. College, Village - Chandresal, Tehsil-Ladpura, Kota (Raj.)- 324002 (2) Kund Kund Kahan Digambar Jain Mahavidyalaya, Kheda Jagpura, Ranpur Road, Kota (Raj.)-325003 under the mentioned against the college and it is affiliated to University of Kota, Kota.

S.No.	College Name	NAME OF THE COURSE(S)
1.	Arihant T.T. College, Village - Chandresal, Tehsil-Ladpura, Kota (Raj.)- 324002	B.Ed., B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed.
2.	Kund Kund Kahan Digambar Jain Mahavidyalaya, Kheda Jagpura, Ranpur Road, Kota (Raj.)-325003	B.A., B.Sc.

21/1/2

REGISTRAR

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 जिला खण्ड, कोटा

क्रमांक : 1801 दिनांक : 5/2/26

Arihant T.T. College
Shri Vijayvergiya Shiksha
Sansthan, Kota (Raj.)

विषय :– NCTE के '10 किमी त्रिज्या' (10 Km Radius) मानक के तकनीकी सत्यापन हेतु (Radius Distance) प्रमाणित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरिहंत टीटी कॉलेज और कुंद–कुंद महाविद्यालय के मध्य Areial Distance 18.10 किमी हैं। जो कि 20 किमी व्यास की सीमा से कम है। अतः ज्यामितीय (Geometrically) रूप में मध्य बिन्दु से दोनों संस्थान 10 किमी त्रिज्या (Radius) के परिधीय क्षेत्र (Diametric Zone) के भीतर स्थित है।

05/02/26

सहायक अभियंता
सा.नि.वि. जिला उपखण्ड तृतीय कोटा

(अशोक कुमार महावर)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. जिला खण्ड कोटा